राजस्थान परिवहन निगम टायर प्लांट बगराना, जयपुर

नीलामी सूचना

टायर प्लान्ट जयपुर में कन्डम किये गये टायर, ट्यूब, फलेप्स,एफसी बैग, पिवीसी पोली एवं रब्बर डस्ट आदि सामान की नीलामी (जैसा है जहां है) के आधार पर दिनांक 18/8/2020 को समय दोपहर 11.00 बजे टायर प्लान्ट बगराना, जयपुर में की जानी है। विस्तृत शर्ते एवं नियम वेबसाईट **www.transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** and **sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

15/07/2020

महाप्रबंधक (टायर)
(टायर प्लांट जयपुर)

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION , TYRE PLANT (Bagrana) JAIPUR
LIST OF MATERIAL for OPEN AUCTION ON dated ---18/8/2020

S. No.	Lot No.	Nomenclature	Approximately Qty. (No)
1.	N-1	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
2.	N-2	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
3.	N-3	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
4.	N-4	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
5.	N-5	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
6.	N-6	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
7.	N-7	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
8.	N-8	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
9.	N-9	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
10.	N-10	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	500
11.	N-11	U/S NYL. TYRE 900/1000X20	250
12.	R-1	U/S RDL. TYRE 900/1000X20	500
13.	R-2	U/S RDL. TYRE 900/1000X20	500
14.	R-3	U/S RDL. TYRE 900/1000X20	500
15.	R-4	U/S RDL. TYRE 900/1000X20	475
16.	RB-1	U/S REMOVE BELT RDL ./NYL TYRE 900/1000*20	383
17.	RB-2	U/S REMOVE BELT RDL ./NYL TYRE 900/1000*20	260
18.	RB-4	U/S REMOVE BELT RDL ./NYL TYRE 900/1000*20	288
19.	RB-3	U/S REMOVE BELT NYL TYRE 7.50*16	266
20.	M-1	U/S NYL. TYRE 7.50X16	400
21.	M-2	U/S NYL. TYRE 7.50X16	317
22.	M-3	U/S NYL. TYRE 7.50X16	400
23.	M-4	U/S NYL. TYRE 7.50X16	400
24.	M-5	U/S NYL. TYRE 7.50X16	400
25.	M-6	U/S NYL. TYRE 7.50X16	400
26.	T-1	U/S RDL TYRE 295/80R 22.5 (TL)	44
27.	T-2	U/S RDL TYRE 295/80R 22.5 (TL)	34
28.	T-3	U/S RDL TYRE 295/80R 22.5 (TL)	65
29.	T-4	old RDL TYRE 295/80R 22.5 (TL) (retread)	231
30.	T-5	old RDL TYRE 295/80R 22.5 (TL) (First Casing)	281
31.	S-1	U/S tyre 215/75R & SMALL TYRE ASSORTED	237
32.	S-2	U/S tyre 215/75R & SMALL TYRE ASSORTED	155
33.	A-1	U/S TUBE 900/1000X20 WITH & WITHOUT NALKI	7300
34.	A-2	U/S TUBE 7.50X16 & ASSORTED WITH & WITHOUT NALKI	1680
35.	A-3	U/S SCRAP FLLAPS & TUBE CUT	25 TON (APROX)
36.	A-4	PVC POLLEY	3 TON (APROX)
37.	A-5	U/S ENVELOPE 900/1000*20	189
38.	A-6	U/S ENVELOPE 7.50*16	56
39.	A-7	U/S F.C BAG 900/1000*20 WITH & WITHOUT NALKI	170
40.	A-8	U/S F.C BAG 7.50*16 WITH & WITHOUT NALKI	68
41.	A-9	SCRAP RUBBER DUST & TYRE CUT (RATE CONTRACT FOR ONE YEAR	120 TON (APROX)

15/07/2020
GM (Tyre)
Tyre Plant , jaipur

राजस्थान परिवहन निगम टायर प्लांट बगराना, जयपुर

खुली नीलामी के नियम एवं शर्ते

निगम के टायर प्लान्ट जयपुर में कन्डम किये गये सामानो कि संलग्न सूची अनुसार दिनांक 18/8/2020 को समय 11.00 बजे टायर प्लान्ट बगराना, जयपुर में खुली नीलामी की जावेगीं।

1. नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपये 10000/-(दस हजार रूपये) नगद प्रत्येक लॉट बतौर अमानत राशि मौके पर जमा करानी होगी।
2. अमानत राशि निलामी में भाग लेने वाले सभी असफल व्यक्ति/फर्मो/उम्मीदवारों को नीलामी के पश्चात् उन्हें प्रदत की गयी रसीद प्रस्तुत करने पर लौटा दी जावेगी।
3. निलामी में भाग लेने वाले संभावित व्यक्ति/फर्मे नीलामी की तिथी से 5 दिन पुर्व से नीलामी तिथी तक कार्यालय समय में नीलामी योग्य माल को देख सकेंगें।
4. माल जहां है जैसा है के आधार पर नीलामी में बेचा जावेगा।
5. कोई भी भारतीय व्यक्ति/क्रेता जिसका भारत में कानूनी व्यवसाय है।नीलामी में भाग ले सकता है।
6. सफल बोलीदाता को पॉच दिन के अन्दर निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी–

पॉच लाख रूपये तक	25 प्रतिशत अनुमानित लागत का।
पॉच लाख रूपये से दस लाख तक	20 प्रतिशत या न्यूनतम 1.25 लाख।
दस लाख से अधिक	15 प्रतिशत या न्यूनतम 2.00 लाख रूपये।

   निर्धारित अवधि में उपराक्तानुसार राशि जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता की अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि निलामी दिनांक से 10 दिन के अन्दर–अन्दर जमा करानी होगी, यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं कराता है तो अगले 10 दिन में 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करायेगा। यदि उसके द्वारा राशि जमा नहीं करायी जाती है तो पूर्व में जमा राशि के साथ–साथ अमानत राशि भी जब्त करली जायेगी।
8. डिलीवरी के समय अनुमानित राशि और वास्तविक राशि के अन्तर की राशि जमा कराने के पश्चात् ही डिलीवरी दी जावेगी।
9. यदि सफल बोलीदाता द्वारा निलामी दिनांक से 20 दिन के अन्दर माल नहीं उठाया जाता है तो 200/–रूपये प्रतीदिन प्रती लॉट की दर से ग्राउण्ड रेन्ट अगले 15 दिन तक जमा करा कर माल की डिलीवरी ली जा सकेगी।
10. किसी भी लॉट की पार्ट डिलीवरी नहीं दी जावेगी , जब एक बार में माल उठाना संभव नहीं हो तो पार्ट डिलीवरी दी जा सकेगी परन्तु राशि पूरे लॉट की ही जमा होगी ।
11. जो सामान नीलामी के द्वारा विक्रय किया जा रहा है उसकी सूची संलग्न है।
12. समस्त विवादो का न्यायिक क्षेत्र जयपुर राजस्थान होगा।
13. नीलामी कमेटी को किसी भी बोली को स्वीकार और बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
14. RSRTC को खुली बोली की शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार होगा।

15. विक्रय पर आयकर/जीएसटी/अन्य कर जो भी लागु होगें प्रचलित दर से अनुमानित राशि की गणना में शामिल होगा ,उसी को संबंधित फर्म को जमा कराना होगा।

16. बिके हुये माल की बिलिंग बोलीदाता के नाम से ही की जावेगी परन्तु वह डिलीवरी अन्य किसी व्यक्ति को करना चाहता है तो उस व्यक्ति की आई.डी. और हस्ताक्षर प्रमाणित करके देगा।

17. किसी विवाद के लिए प्रबंधनिदेशक राजस्थान परिवहन निगम पंच होगें और उनका निर्णय अंतिम होगा जो दोनो को मान्य होगा।

18. केता द्वारा माल उठाने की सूचना 2 दिवस पूर्व लिखित में देनी होगी और जहॉ तक संभव हो माल 4.00 बजे सांय तक उठाना होगा।

19. केता को लोडिंग/अनलोडिंग टान्सपोरटेशन की स्वयं को व्यवस्था करनी होगी।

20. फर्म को अपना पेन नम्बर, जीएसटी नम्बर ,मोबाईल नम्बर एवं अपने पूर्ण पते के आई.डी. कार्ड के साथ वैध ई–मेल आई.डी. भी उपलब्ध कराना होगा।

21. रबर डस्ट की नीलामी अवधि एक वर्ष की होगी ।जिसकी अमानत राशि सफल बोली दाता द्वारा आक्शन दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर (10 टन X 12 माह X बोली राशि = कुल मुल्य राशि का 10 प्रतिशत) जमा करानी होगी ।

22. वार्षिक नीलामी के मामले में सफल बोलीदाता / फर्म को प्रति माह आवंटित /उपलब्ध माल की सूचना दुरभाष / फर्म द्वारा दी गई ई–मेल आईडी पर दी जावेगी , जिसको फर्म द्वारा 10 दिवस के अन्दर उठाना होगा। यदि फर्म द्वारा दी गई अवधि में माल नही उठाया जाता है तो 200 रुपये प्रतिदिन ग्राउंड रेट अगले 20 दिवस तक जमा करवा कर माल उठाया जा सकता है । दी गई अवधि में माल नही उठाये जाने पर टायर / केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर कमेठी द्वारा कार्यवाही की जावेगी ।

23. संलग्न सूची के अतिरिक्त ऑक्शन दिनांक तक कन्डम कमेटी द्वारा कन्डम किये गये सामान को भी ऑक्शन में जोडा जावेगा।

24. राजस्थान परिवहन निगम से नकारा रबड , टायर एवं ट्युब को उन्ही संस्थाओ को निलामी के तहत विक्रय किये जावेगे जो राज्य प्रदुषण नियंत्रक बोर्ड से अधिकृत हो।

25. कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना किया जाना आवश्यक है (जैसे मास्क का उपयोग , दो गज की दुरी , थर्मल स्कीनिग एवं हेड सेनेटाईजेशन आदि)

15/07/2020

महाप्रबंधक(टायर)
टायर प्लांट , जयुपर